Form No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत	न्याया0 अति. संभागीय आयुक्त	मुकाम	कोटा
कोसा पुत्री लक्ष्मण हाल पत्नी मांगीलाल जाति किराड़ निवासी खाण्डा सहरोल, तहसील शाहवाद, जिला बारां		बनाम	इमरतलाल पुत्र लक्ष्मण लाल जाति किराड़ निवासी खाण्डा सहरोल, तहसील शाहवाद, जिला बारां वगे0
किस्म मुकदमा	अपील धारा 76 रा0 भू0 रा0 अधि0	नं. 48/	2025

जिला– बारां

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.25	अपीलार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक श्री घनश्याम गर्ग के अपील अन्तर्गत धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 में रेस्पो0 के विरूद्ध इस न्यायालय में पेश की गई। पत्रावली एवं रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया, प्रस्तुत अपील मियाद बाहर पेश की गई है। अपील न्यायालय के श्रृवणाधिकार योग्य होने से सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जाती है। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में अपील अपीलाधीन अधीनस्थ न्यायालय (प्रथम अपीलीय न्यायालय) उप जिला कलक्टर, शाहबाद द्वारा प्रकरण संख्या 2/2000 में पारित निर्णय दिनांक 16.11.2000 के विरूद्ध 24 वर्ष पश्चात् द्वितीय अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई। ऐसी स्थिति में प्रकरण में सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील 24 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है। जिसके संबंध में अपीलांट द्वारा अपील के साथ धारा 5 प्रार्थना–पत्र संलग्न करते हुए अपील के विलम्ब का उचित कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। जबकि अपील मियाद के बिन्दु पर स्वीकार किये जाने से पूर्व कानूनन विलम्ब का दिन–प्रतिदिन का स्पष्टीकरण दिया जाना आवश्यक है। आर.आर. डी. 14.09.2019 पृष्ठ संख्या 549 में प्रतिपादित है कि An unlimited limitation would lead to a sense of insecurity and uncertainity and therefore, limitation, prevents disturbance or deprivation of what may have been acquired in equity and justice by long enjoyment or what may have been lost by a parties on in action, negligence or laches. इसी प्रकार आर. आर.टी. 2017(1) पृष्ठ 117 में भी प्रतिपादित किया गया है कि Liberal approach can not be adopted otherwise it may render the law of limitation nugatory & otiose- No sufficient cause to explain the delay – held , application & appeal are liable to be dismissed. इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है, ऐसे में हस्तगत अपील में मियाद कण्डोन करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। अतः अपील अपीलांट अवधि बाधित होने से इस स्टेज पर मेटेंनेबल नहीं होने से मियाद के बिन्दु पर ही अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है। (ममता कुमारी तिवारी) अति. संभागीय आयुक्त कोटा	